

कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी  
(महिला एवं बाल विकास विभाग)

कलेक्ट्रेट परिसर राजनांदगांव जिला- राजनांदगांव (छ.ग.) पिन-491441


क्रमांक...2156.../मबावि/सखी/2016-17

राजनांदगांव, दिनांक 15/02/2017

//प्रेस विज्ञप्ति//

महिला एवं बाल विकास द्वारा संचालित 'सखी' वन स्टाप सेंटर के सेवा प्रदाताओं के निर्धारण किये जाने दिनांक 10.02.2017 को वाक वॉक इन इन्टरव्यू आयोजित किया गया था जिसमें केन्द्र प्रशासक, परामर्शदाता, केस वर्कर एवं बहुउद्देशीय सहायक हेतु निर्धारित नियम एवं शर्तों के अधीन वांछित अनुभव के अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण अपात्र किया गया था। जिला संचालन समिति राजनांदगांव द्वारा संपूर्ण प्रकरण पर विचार कर वांछित अनुभव में शिथिलता प्रदान करने के अनुक्रम में पूर्व में प्राप्त आवेदनों की नवीन पात्र/अपात्र सूची का प्रकाशन दिनांक 17.02.2017 को प्रातः 11:00 बजे किया जाकर उस पर 12:00 बजे तक दावा आपत्ति स्वीकार की जावेगी। अपराह्न 12:00 से 01:00 बजे तक दावा आपत्ति निराकरण किया जावेगा तथा उसके उपरांत पात्र अभ्यर्थियों का वॉक इन इन्टरव्यू संयुक्त कलेक्ट्रेट कार्यालय राजनांदगांव में लिया जावेगा। अतः केन्द्र प्रशासक, परामर्शदाता, केस वर्कर एवं बहुउद्देशीय सहायक के पदों में जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था वे दिनांक 17.02.2017 को आवश्यक दस्तावेजों (अंकसूची, अनुभव, निवास, पंजीयन प्रमाण पत्र) के साथ संयुक्त जिला कार्यालय में प्रातः 11:00 बजे उपस्थित हो सकते हैं। नये आवेदकों से आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। पूर्व में किये आवेदनकर्ता उपस्थित नहीं होने पर उन्हें प्रक्रिया से पृथक माना जायेगा।

उक्त जानकारी जिले की वेबसाईट [www.rajnandgaon.gov.in](http://www.rajnandgaon.gov.in) में भी यथा समय देखी जा सकती है। इसके अलावा जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास एवं जिला बाल संरक्षण अधिकारी, जिला बाल संरक्षण इकाई, कलेक्ट्रेट परिसर संयुक्त जिला कार्यालय, कक्ष क्र. 11 राजनांदगांव के सूचना पटल में अवलोकन किया जा सकता है।


  
जिला कार्यक्रम अधिकारी  
महिला एवं बाल विकास  
राजनांदगांव (छ0ग0)

पृ0क्रमांक...2157.../मबावि/सखी/2016-17

राजनांदगांव, दिनांक 15/02/2017

प्रतिलिपि -

1. आयुक्त, संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग नया रायपुर को सादर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर, जिला राजनांदगांव को सादर सूचनार्थ।
3. उप संचालक, जनसंपर्क विभाग को अखबार में निः शुल्क प्रकाशित करने हेतु अग्रेषित।
4. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, जिला राजनांदगांव को जिले के वेबसाईड में अपलोड करने हेतु अग्रेषित।

  
जिला कार्यक्रम अधिकारी  
महिला एवं बाल विकास  
राजनांदगांव (छ0ग0)